न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./52/2022

1. रघुवीर सिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील मिनाय अजमेर
2. कल्याण सिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील मिनाय अजमेर
3. दशरथ सिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील मिनाय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील मिनाय अजमेर
2. भगवत सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील मिनाय अजमेर
3. हनुमान सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी तेलाड़ा तहसील मिनाय अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मिनाय तहसील मिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामणियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा तेलाड़ा पटवार क्षेत्र सोबड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 263 में दर्ज खसरा नं. 474 रकबा 1.19 है0, ख0नं. 475 रकबा 0.23, ख0नं. 476 रकबा 0.16, ख0नं. 477 रकबा 0.03, एवं खसरा नम्बर 479 रकबा 0.14 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.75 है0 है, जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 4 सरकार जरिये तहसीलदार मिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 लगा0 3 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा तेलाड़ा पटवार क्षेत्र सोबड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 263 में दर्ज खसरा नं. 474 रकबा 1.19 है0, ख0नं. 475 रकबा 0.23, ख0नं. 476 रकबा 0.16, ख0नं. 477 रकबा 0.03, एवं खसरा नम्बर 479 रकबा 0.14 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.75 है0 है,** प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **एकलसिंघा** को 1500/–(एक

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

हजार पांच सौ रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09..2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
भिनाय (अजमेर) राज